न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 115/2011

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मदनकुंवर पत्नि श्री इन्द्रसिंहजी जाति राजपूत आयु 37 वर्ष पेशा गृहणी व्यस्क व खेती निवासी बालदा तहसील सिरोही		1– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही 2– चुनाराम पुत्र श्री भूबाजी जाति मेघवाल आ 40 वर्ष पेशा खेती निवासी बालदा वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही

1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियॉ
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 9–11–202

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राज अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का इस न्यायालय मे 5–10–2011 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी तथा कब काश्त की कृषि आराजी मौजा उॅटाखेडापटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही मे आई हुई जिसमे नये खसरा नंबर 01 रकबा 3.11 हैक्टेयर है। खसरा नंबर 01 के पुराने खसरा संख्या मी/43 रकबा – बीघा बिस्वा है। प्रार्थी की उक्त खसरा नंबर 1मी/43 की आराजी को पु नक्शे मे तरमीम किया हुआ है। मौके पर प्रार्थी के कब्जा काश्त की आराजी को नकशा मे म ए–बी–सी–डी– दर्शाया गया है। प्राथी की आराजी पुराने राजस्व रेकर्ड नक्शा मे तरमीम है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजी पर ही काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरणपोषण कर रही प्रार्थीया ने उक्त आराजी को काफी रकम लगाकर समतल व उपजाउ बनाया है तथा उसे क योग्य बनाया है। प्रार्थीया की उक्त आराजी मे कुंआ मौके पर खुदा हुआ है तथा मकान भी बना हु है। वर्तमान सेटलमेण्ट मे प्रार्थी की आराजी के नये नंबर डाले गये है। पुराने खसरा नंबर 1मी/ के नये खसरा नंबर 01 रकबा 3.11 हेक्टेयर बनाये गये है। वर्तमान तरमीम के दौरान प्रार्थीया आराजी को मौके पर काबिज अनुसार तथा पुराने राजस्व रेकर्ड के अनुसार तरमीम नही किया ग है तथा प्रार्थीया की आराजी को उपरोक्त स्थान से अलग गलत तरमीम किया गया है। प्रार्थीया आराजी के स्थान पर अप्रार्थी संख्या दो की खसरा संख्या 2 रकबा 1.25 हैक्टेयर आराजी को दि किया गया है,जबकि अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा काश्त प्रार्थीया की आराजी के उत्तर दिशा मे है, जिस पर पूर्व खातेदार तथा अप्रार्थी काश्त करते रहे है। प्रार्थी के खातेदारी तथा काश्त आराजी के स्थान पर अप्रार्थीसंख्या दो की खसरा नंबर 2 रकबा 1.25 हैक्टेयर कीर आराजी गलत नक्शा मे दर्शाया गया है। उपरोक्त तरमीम गलत की गई है। खसरा नंबर 2 की आ जिस पर दर्शाई गई है वहा पर अप्रार्थी संख्या दो कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है तथा न खसरा नंबर 2 के पूर्व खातेदार का स्थान पर कब्जा रहा है। प्रार्थीया की आराजी पर प्रार्थ बतौर खातेदार काबिज है तथा काश्त कर रहे है। वर्तमान सेटलमेण्ट के दौरान उक्त ग तरमीमकर आराजी की स्थिति को गलत तरमीम किया गया है जिसकी दुरूस्ती आवश्यक है। प्रार्थ मौके पपर जिस स्थान पर काबिज है उस आराजी पूर्व नक्शा मे है,उस स्थान पर वर्त सेटलमेण्ट मे पूण व सही तरमीम नही कर गलत तरमीम किये जाने से प्रार्थी के कब्जे मे अ संख्या दो द्वारा दखलन्दाजी करने की धमकियॉ दी जा रही है जिससे रेकर्ड मे दुरूस्ती नही जाने से मौकेपर कभी भी विवाद हो सकता है। प्रार्थीया की जानकारी मे उक्त गलती आने प्रार्थीया ने दुरूस्ती हेतु निवेदन किया ,जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय मे उक्त ग को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दिये जाने से यह प्रार्थनापत्र प्र करने का कारण बना है। अतः प्रार्थीया का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया आराजी की राजस्व रेकर्ड मे की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान क तथा रेकर्ड मे पूर्व नक्शा के अनुसार व मौका अनुसार सही तरमीम किये जाने के आदेश प्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न सीमाज्ञान मौका फर्द ,नक्शा ,जमाबंदी संवत 2067 से 2070 का अवलोकन कर उस पर मनन करने के पश्चात प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से दिनांक 5–10–2011 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी कियेगये । जिस पर अप्रार्थीसंख्या 1 व 2 के नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनांक 15–11–2011 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये। तथा अप्रार्थी संख्या एक स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार व अप्रार्थी संख्या 2 चुनाराम की ओर से वकील श्री प्रकाशकुमार माली ने वकालतनामा इस न्यायालय मे पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । न्यायालय मे दिनांक 12–4–2013 को विचाराधीन प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 2 को न्यायालय द्वारा जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद सीपीसी के प्रावधानो के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने से अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब न्यायालय द्वारा बंद किया गया। दिनांक 18–6–2018 को न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सिरोही को ओर से जवाब पेश हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया कि प्रार्थीया के मौजा उॅटाखेडा पटवार हल्का वेलांगरी मे नये खसरा नंबर 01 रकबा 3.11 हैक्टेयर संलग्न जमाबंदी अनुसार मदनकंवर पत्नी श्री इन्दरसिंह राजपूत निवासी बालदा की खातेदारी है जिसका पुराना खसरा 1/43 है जो सही है। तथा गत खसरा नंबर 1/43 के नये खसरे 01 रकबा 3.11 हैक्टेयर पुराने खसरा नंबर 1/43 रास्ते तकएक कहिी नम्बर दर्ज था जबकि नये नक्शे मे खसरा नंबर 1 व 2 नया नंबर दिया गया है। रास्ते साईड मे खसरा नंबर 2 अलग अलग दर्शाकर चुनाराम पुत्र भूबाजी जाति मेघवाल सा.बालदा दर्ज कर खातेदार बना दिया गया । कब्जा सम्बन्धी प्रार्थीया स्वंय सिद्ध करने का बताया है।

आज दिनांक 4–8–2020 को विचाराधीन प्रकरण मे प्राथी व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) द्वारा विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल आर.एक्ट पर सीधी अंतिम बहस करने का निवेदन करने से अंतिम बहस सुनी गई तथा दिनांक 3–11–2020 को न्यायालय मे सुनवाई के दौरान विचारण प्रकरण मे वकील उभय पक्षकारान की पुनःमजीद बहस सुनी गई । हमने वकील उभय पक्षकारान की अंतिम बहस पर मनन किया विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय संलग्न प्रार्थनापत्र व जवाब तथा राजस्व रेकर्ड प्रतियों का भी गहनतापूर्वक मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 14–7–2011 के संलग्न नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया अनुसार यह सिद्व है कि खसरा नंबर 1 रकबा 3.11 मेसे पश्चिम की ओर 1.25मे खातेदार मदनकुंवर का कब्जा काश्त नही एवं मौके पर कब्जा वन विभाग बाल्दा जोड का है। तथा विचारण कब्जे संबंधी है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि आराजी पर कब्जा प्रार्थी का होने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्व करने मे असफल रहे है तथा विचारण प्रकरण कृषि आराजी पर कब्जे संबंधी है न कि लिपिकिय त्रुटि मे आता है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्राथी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण बाबत रेकर्ड की दुरूस्ती करवाने का सारहीन व परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक [illegible]20 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.07.28 17:29:10 IST
Reason: SelfAttested